सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 130/12 **निर्णय दिनांकः– 30–08–2019**

1. रामदेव पुत्र चोरूराम जाति भाटी (माली) निवासी केसरदेसर कुआं, बीकनेर हाल चक 7 बीकेएम (चकगर्बी) तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. करणाराम पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी धावड़ियों का मौहल्ला, बीकानेर।
2. लाला उर्फ लालिया पुत्र चौरूराम जाति सांखला निवासी पंवारबास, बीकानेर। (तर्क)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
4. रूकमा पुत्री चौरूराम जाति भाटी निवासी केसरदेसर कुआं, बीकानेर हाल बीके स्कूल के पास, बीकानेर।
5. मूली पुत्री चौरूराम जाति भाटी निवासी केसरदेसर कुआं बीकानेर हाल नत्थूसरबास, बीकानेर।
6. कृष्णा पुत्री चौरूराम जाति भाटी निवासी केसरदेसर कुआं, बीकानेर हाल अलखसागर कुआं, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 31–08–2012
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री प्रेमप्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31–08–2012 जिसके द्वारा अपीलांट् का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आरटीएक्ट व सपठित धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 847 तादादी 5.01 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 77/33 के किला नम्बर 19 ता 23 वाके चक 7 बीकेएम के रूप में पैमूद हुए है, उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। उक्त वादपत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया गया कि वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में एक वाद उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खातेदारी की इस्तदुआ की गई थी ऐसी स्थिति उसी भूमि के बाबत् पुनः वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जाता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में रेस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं थे। उक्त वादपत्र में केवल मात्र स्टेट पक्षकार था तथा स्टेट के विरूद्व ही रिलिफ चाही गई थी। उक्त वादपत्र में चिरनिषेधाज्ञा की रिलिफ नहीं चाही गई थी। इस प्रकार दोनों वादपत्रों के अलग—अलग रिलिफ चाहते हुए चाराजोई की गई थी। प्रस्तुत वादपत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादपत्र के अनुसरण में तनकीयात् कायम की गई ना ही अपीलांट/वादी को शहादत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र वाद को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया गया। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य व वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है। जबकि साक्ष्य से भूमि पुश्तैनी होना साबित है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति यह है कि आराजी जैर सवंत 2012 से पूर्व बतौर रिकार्ड चौरूराम के नाम दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि उपनिवेशन में जाने के कारण आराजी जैर को आराजीराज दर्ज कर दिया गया। चूंकि उक्त भूमि वर्तमान में पुनः राजस्व विभाग में विलय हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलांट् संवत् 2012 से पूर्व के काश्तकार होने के कारण उक्त भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो चुके है। आराजी जैर से रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो वाद के तथ्यों का उल्लेख किया ना ही साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई विवेचन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इन तमाम कानूनी तथ्यों जो कि प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर आवश्यक प्रावधान थे, को दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, ऐसे कानून विरूद्व आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2012 एससी पेज 683, डीएनजे 2017 राज. पार्ट I पेज 351 व डीएनजे 2017 राज. पार्ट I पेज 136 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 स्वयं ने उपस्थित होकर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 847 तादादी 5.01 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 77/33 के किला नम्बर 19 ता 23 वाके चक 7 बीकेएम के रूप में पैमूद हुए है, उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किये

जाने का वादपत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि वादी रामदेव द्वारा इसी आराजी के संबंध में खातेदारी धोषणा प्राप्त करने हेतु पूर्व में वाद पेश किया जा चुका है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय होने के उपरान्त राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गई, उक्त अपील दिनांक 15—09—2011 को स्वीकार होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को रिमाण्ड की जा चुकी है। जोकि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण दावा इसी स्टेज पर खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा बाधिक होने तथा वादी/अपीलांट ने वैकल्पिक रूप से सक्षम न्यायालय के समक्ष खातेदारी अर्जन का वादग्रस्त भूमि के बाबत् वाद लम्बित होने के कारण वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जाता है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व से ही चाराजोई की जाती रही है ऐसी स्थिति में भिन्न—भिन्न न्यायालयों से बार—बार वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट/वादी का कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है व येन—केन—प्रकारेण उक्त भूमि को प्राप्त करना चाहते है। जबकि कानूनी रूप से अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व हकूक पैदा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए व प्रकरण की वस्तुस्थिति के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 53 व सपठित धारा 136 एलआरएक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 847 तादादी 5.01 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 77/33 के किला नम्बर 19 ता 23 वाके चक 7 बीकेएम के रूप में पैमूद हुए है, उक्त भूमि की खातेदारी धोषणा चाही गई। उक्त वादपत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में चाराजोई करते हुए एक वाद उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समान भूमि की खातेदारी की इस्तदुआ की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसने उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष पूर्व में जो वाद पेश किया था, उसमें केवल स्टेट से अनुतोष मांगा थ ना कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ चाइी गई थी। उक्त वाद अदम शहादत खारिज होने पर अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया गया था, जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। अपीलांट ने उक्त वाद लम्बित रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा तथा धोषणा का वाद पेश किया है। अपीलांट का कथन है कि उसकी पुश्तैनी भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 847/159 जिसके नये खसरा नम्बर 77/33 है, जो रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है। जबकि यह भूमि प्रारम्भ से ही मोहनलाल राठी की थी, जो सन् 2004 मे नवलखी देवी को विक्रय कर दी गई तथा नवलखी ने रेस्पोडेन्ट करणाराम वैगरा को विक्रय कर दी। उक्त भूमि का 2/3 हिस्से का सहखातेदार माणक व मूलचन्द को सन् 1955 से पूर्व का काश्तकार बताया गया है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हो कि पूर्व के खसरा नम्बर 847/159 से ही चकबन्दी के बाद खसरा नम्बर 77/33 के किला

नम्बर 19 ता 23 बने है। सर्वप्रथम अपीलांट की स्टेट से अनुतोष प्राप्त करना है कि नये मुरब्बा नम्बर 77/33 पूर्व के खसरा नम्बर 847/159 से बने है। इस बाबत् वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद के चलते उसी भूमि की खातेदारी के संबंध में नया वाद नहीं लाया जा सकता। परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की दरखवाश्त अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर का निर्णय दिनांक 31—08—2012 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर